न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज0

पीठासीन अधिकारी :– राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 23/14 दायरा दिनांक 11.04.2014

1. मजबूतसिंह पुत्र ठाकुरलाल उम्र 46 वर्ष जाति अहीर निवासी मुण्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. धनवन्ती पत्नि मजबूतसिंह उम्र 44 वर्ष जाति अहीर निवासी मुण्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान **–प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

<u>निर्णय–दिनांक 12.11.2022</u>

उपस्थित– वादी की ओर से–श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से–पेरोकार सरकार

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवंटन परामर्शदाता समिति मुकाम मुण्डियर द्वारा आराजी खसरा नम्बर 505 रकवा 5.00 बीघा किस्म बा.च. दिनांक 14.01.2008 को वादी को विधिवत् आवंटन की गई है, जिस पर आवंटन के पूर्व से ही वादी काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है, इस आराजी को दावे में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। खसरा संख्या 505 ग्राम कलोनी का रकवा 60.02 बीघा सम्वत् 2055 से 2058 में सिवायचक दर्ज था, जिसमें से इसी दरमियान रकवा 39.00 बीघा विभिन्न आवंटियों को आवंटन की गई है, और शेष बचे रकवे 21.02 बीघा को बंटा नम्वर 505/13 दिया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज कर दिया, जो आज भी सिवायचक दर्ज है। वादी ने अपने आवंटन दिनांक 14.01.2008 की पालना में उक्त आराजी को अपने नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज कराने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिवादी द्वारा हल्का पटवारी से दिनांक 14.08.2012 को मौके की रिपोर्ट तलब की गई, प्रतिवादी के आदेश क्रमांक 1625 दिनांक 14.08.2012 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.08.2012 को मौके पर जाकर विस्तृत जॉच रिपोर्ट पेश की, इसके बाबजूद भी प्रतिवादी द्वारा यह कहते हुये कि आपके मूल आवंटन फार्म में खसरा संख्या 505 दर्ज है, जिसका अमल खसरा संख्या 505/13 में नही किया जा सकता, वादी के आवंटन का अमल करने से इनकार कर दिया और वादी को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। आराजी खसरा नम्वर 505 का रकवा 60.02 बीघा सिवायचक जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 में दर्ज है इसी दरमियान उक्त रकबे में से 39.00 बीघा रकवा विभिन्न लोगो को आवंटन है और शेष रकवा 21.02 बीघा बंटा नम्वर 505/13 दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

जाकर आज भी सिवायचक दर्ज हैं इस प्रकार बटा नम्बर 505/13 रकवा 21.02 बीघा मूल रुप से खसरा नम्वर 505 का ही शेष रकवा है, जिसमें से रकवा 5.00 बीघा वादी को दिनांक 14.01.2008 को नियमानुसार आवंटन है, जिस पर वादी आवंटन के पूर्व से ही काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है, जिस पर आवंटन पश्चात से भी काश्त करते हुये वादी को 6 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है और वादी आवंटन नियमावली व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भी अपनी उक्त आवंटनशुदा भूमि को अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में दर्ज कराने का अधिकारी व नालिशी है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी की आवंटनशुदा आराजी खसरा संख्या 505 रकबा 5.00 बीघा ग्राम कलोनी का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज आराजी खसरा संख्या 505/13 रकबा 21.02 बीघा जो मूल रूप से खसरा नं. 505 का ही शेष भाग है में अमल किये जाने हेतु सादर डिक्री पारित फरमाये जाने की कृपा करें, अन्य न्यायोचित सहायता जो श्रीमान मुनासिब समझे वादी को प्रदान की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की ओर से जबावदावा प्रस्तुत कर जबाव के बिन्दु संख्या 1 को कानूनी बताते हुये कथन किया कि कब्जा साबित करने का भार वादी पर है। मद संख्या 2 को स्वीकार करते हुये, मद संख्या 3 व 4 को आंशिक स्वीकार किया। मद संख्या 5 को कानूनी होना बतलाया, मद संख्या 6 व 7 के बावत न्यायालय से संबंधित होने का कथन किया तथा मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी, आई.एल.आर के मौके पर आवंटी द्वारा फसल काश्त करना नहीं पाये जाने का कथन किया। तहसीलदार शाहावाद के जरिये विवादित आराजी बावत मौका रिपोर्ट तलब की गई। वादी की ओर से आवंटन आदेश दिनांक 14.01.2008 की छायाप्रति प्रमाणित, नकल जमाबंदी ग्राम कलोनी खाता संख्या 1 सम्बत 2067-70, खाता संख्या 1 सम्बत 2055-58, खाता संख्या 1 सम्बत 2059-62 तथा खाता संख्या 291 सम्बत 2059-62, नोटिस 80 सीपीसी की प्रति, डाक रसीद, नक्शा मौका रिपोर्ट दिनांक 24.08.12, प्रति नक्शा ट्रेस मोजा कलोनी को पेश किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विश्लेषण निम्न प्रकार है –

वादपत्र के कथनानुसार विवादित आराजी खसरा नम्वर 505 रकवा 5.00 बीघा दिनांक 14.01.2008 को वादी को विधिवत् आवंटन की गई है, जिस पर वादी काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। खसरा संख्या 505 ग्राम कलोनी का रकबा 60.02 बीघा सम्वत् 2055 से 2058 में सिवायचक दर्ज था, जिसमें से इसी दरमियान रकबा 39.00 बीघा [illegible] आवंटियों को आवंटन की गई है, और शेष बचे रकबे 21.02 बीघा [illegible] नम्बर 505/13 दिया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज कर दिया, जो आज भी सिवायचक दर्ज है। वादी ने अपने आवंटन दिनांक 14.01.2008 की पालना में उक्त आराजी को अपने नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज कराने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिवादी द्वारा हल्का पटवारी से दिनांक 14.08.2012 को मौके की रिपोर्ट तलब की गई, परन्तु प्रतिवादी द्वारा यह कहते हुये कि आपके मूल आवंटन फार्म में खसरा संख्या 505 दर्ज है, जिसका अमल खसरा संख्या 505/13 में नही किया जा सकता, वादी के आवंटन का अमल करने से इनकार कर दिया। पत्रावली में संलग्न प्रमाणित प्रति आवंटन आदेश दिनांक 14.01.2008 से साबित है कि ग्राम कलोनी की आराजी खसरा संख्या 505 में 5.00 बीघा भूमि वादी को आवंटन की गई है, पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे साबित होता हो कि वादी का उक्त आवंटन किसी सक्षम आदेश से अप्रभावी हुआ हो, जो आज भी प्रभावशील है। उक्त आवंटित भूमि पर वादी के कब्जे के सम्बन्ध में हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.08.2012 प्रस्तुत की गई है, जिससे साबित है कि उक्त आवंटित भूमि पर वादी मौके पर वादी काबिज है, न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2021 से भी विवादित भूमि पर वादी के कब्जे काश्त की पुष्टि होती है। विवादित भूमि का मूल खसरा नंबर 505 तथा रकबा 60.02 बीघा सिवायचक रहा है, जिसमें से विभिन्न आवंटियों को 39.00 बीघा रकबा आवंटन किया गया है, जिसका इन्द्राज प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 में दर्ज है। विभिन्न आवंटियों को 39 बीघा रकबा आवंटन होने के बाद रकबा 21.02 बीघा शेष रहा, उसे मूल खसरा नंबर 505 के रूप में दर्ज किया जाना चाहिये था, परन्तु शेष रकबे को मूल खसरा नंबर 505 दर्ज नहीं कर बटा नम्वर 505/13 के रूप में दर्ज किया गया है, जो प्रस्तुत जमाबंदी खाता संख्या 1 सम्बत 2067–70 में दर्ज है, यह त्रुटि राजस्व कर्मियों की रही है, जिससे वादी के आवंटन का अमल प्रभावित नहीं होता है। वादी विवादित भूमि खसरा संख्या 505 के शेष रहे रकबा 21.02 बीघा, जो बर्तमान जमाबंदी में खसरा नंबर 505/13 के रूप में दर्ज है में से अपने आवंटित रकबा 5.00 बीघा का अमल कराने का वैध हकदार पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को आवंटनशुदा आराजी खसरा संख्या 505 रकबा 5.00 बीघा ग्राम कलोनी तहसील शाहावाद का खातेदार घोषित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि बर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज आराजी खसरा संख्या 505/13 रकबा 21.02 बीघा सिवायचक जो मूल रूप से खसरा संख्या 505 का ही शेष भाग है, में से रकबा 5.00 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.11.2022 को [illegible] गया। तदानुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इन्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम शाहाबाद

वइजलास – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

1. मजबूतसिंह पुत्र ठाकुरलाल उम्र 46 वर्ष जाति अहीर निवासी मुण्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. धनवन्ती पत्नि मजबूतसिंह उम्र 44 वर्ष जाति अहीर निवासी मुण्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान **–प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92ए,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 23/14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..

व हाजरी..................................मिनजामिन मुद्दई रूबरू...

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को आवंटनशुदा आराजी खसरा संख्या 505 रकबा 5.00 बीघा ग्राम कलोनी तहसील शाहावाद का खातेदार घोषित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि बर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज आराजी खसरा संख्या 505/13 रकबा 21.02 बीघा सिवायचक जो मूल रूप से खसरा संख्या 505 का ही शेष भाग है, में से रकबा 5.00 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। निज ....

मुबलिग...बावत...............

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह...................फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....को अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **12.11.2022** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक			स्टाम्प अर्जीदावा सटाम्प अर्जी मेहनताना बकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक मीजान

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो ... है डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner